

## कार्यालय झॉंसी नगर निगम, झॉंसी

सेवा में,

सचिव/उपअध्यक्ष  
झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी

पत्रांक:- 31/म0नि0वि0/न0नि0/2023-24  
विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
नहोदय,

दिनांक 15.5.2023

श्री हरजीत सिंह चावला पुत्र स्व0 श्री सर्व सिंह चावला निवासी- 95/18 सर्व नगर सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड झॉंसी (उ0प्र0) के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2023 में मौजा/मुहल्ला झॉंसी खास (बाहर उन्नाव गेट) झॉंसी झॉंसी के आराजी संख्या/भवन सं0 1767, 1768, 1784 के जुज भाग में स्थित एक किला आवासीय मकान/प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 21520 वर्गफुट की नगर निगम झॉंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला झॉंसी खास (बाहर उन्नाव गेट) झॉंसी की आराजी संख्या/भवन सं0 1767, 1768, 1784 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने जरिये दान पत्र दिनांक 12329/17.11.2022 दानकर्ता श्री गुरजीत सिंह चावला से क्रय किया गया है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार की आख्या दिनांक 13.04.2023 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला झॉंसी खास (बाहर उन्नाव गेट) झॉंसी के आराजी संख्या/भवन सं0 1767, 1768, 1784 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झॉंसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कशाना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये है, जिसकी राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मलवा शुल्क ₹0 39,000/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क ₹0 21,520/- नगर निगम झॉंसी कोष में रसीद सं0 2396/48 दिनांक 15.04.2023 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला झॉंसी खास (बाहर उन्नाव गेट) झॉंसी के गाटा संख्या 1767, 1768, 1784 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा- 80 की कार्यवाही नहीं की गयी है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्स क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहरी निम्नवत- पूरब- रास्ता 9.14 मीटर, पश्चिम- जमीन पीताम्बर एसोसियेट, उत्तर- प्लाट दीगर, दक्षिण- प्लाट दीगर।

नोट:-

1. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- गेट बन्द कॉलोनी (ले-आउट प्लान) से सम्बन्धित है।
2. सैप्टिक टैंक- IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शे में प्रावधान कर दिया गया है।
3. कम्पोजिटिंग- सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर - 2018 एवं तत्सम्बन्धी प्रख्यापित नियमावली- 2017 में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है फिर भी "गीला कचड़ा आवेदक स्वयं प्रोसिस करेगा। सूखा कचड़ा नगर निगम द्वारा लिया जायेगा जिसका यूजर चार्ज आवेदक को देना होगा।"

नोट- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झॉंसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक:- 31/म0नि0वि0/न0नि0/2023-24  
श्री हरजीत सिंह चावला पुत्र स्व0 श्री सर्व सिंह चावला निवासी- 95/18 सर्व नगर सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड झॉंसी (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

उप नगर आयुक्त  
झॉंसी नगर निगम, झॉंसी  
दिनांक 15.5.2023  
C4  
उप नगर आयुक्त  
झॉंसी नगर निगम, झॉंसी

जांच आख्या (राजस्व विभाग) का प्रारूप

आवेदक का नाम व पिता / पति का नाम हरजीत सिंह चावला पुत्र स्व. सत सिंह नावना

आवेदक का पता 95/18 सत नगर सी.पी. मिशन नयापल 305 सिविल लाइन शहर व जिला झोंसी।

मकान का आराजी संख्या 1784 डेल्टा 480 वा पीटल

सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी एक बिन्ही से आदीक दूर

लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं मौके का निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि मौके पर खाली भूमि के स्वल्प में है जिस पर कोई निर्माण आदि नहीं है व प्राचीन उक्त भूमि पर नाबिज है।

मौके के अनुसार प्ररनगत आराजी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहदी...

पूरब में आराजी सं. 1770 खाली भूमि, पश्चिम में आराजी सं. 1766 खाली भूमि, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में आराजी सं. 1784 जुज भाग है।

प्ररनगत भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है

उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं नहीं

758

नोट- (1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/ दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तदनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

अमित विश्वकर्मा  
लेखपाल  
लेखपाल क्षेत्र  
तहसील-झोंसी

राजस्व निरीक्षक  
राजस्व


तहसीलदार झोंसी  
तहसीलदार  
झोंसी

नजदीक नगर आशिक

भोज-शांसी त्वा नहर उदगाव गेट

तहसील व जिला शांसी

आरजी सं. 1784 क्षेत्रफल 0.048 हे० यांत 480 वर्ग मी०



चौहद्दी

पूरुब  $\Rightarrow$  आरजी सं. 1770 त्वाली भूमि

पारिचिम  $\Rightarrow$  आरजी सं. 2046 त्वाली भूमि

उत्तर  $\Rightarrow$  रास्ता स्थित आरजी सं. 1784

दक्षिण  $\Rightarrow$  आरजी सं. 1784 जुग भाग

सरकारी कार्यालय

अमित विश्वकर्मा

सहायक सेवक

तहसील शांसी

जांच आख्या (राजस्व विभाग) का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम... हरजीत सिंह चाकण पुत्र हव. मन सिंह चान
2. आवेदक का पता 95/18 सर्वनगर सी.पी. नेशन नम्पाडण्ड मैसूरिकरुनगर शहर व  
जिला शांती
3. मकान का आराजी संख्या 1767 क्षेत्रफल 1150 वर्ग मी. व 1768 क्षेत्रफल 370 वर्ग मी.
4. सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी एक कि० मी. से अधिक दूर
5. लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं मौके का निरीक्षण किया गया उक्त भूमि  
मौके पर खाली भूमि के स्वरूप में है जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं है।  
व प्रायः उक्त भूमि पर नाबिज है।
6. मौके के अनुसार प्रश्नगत आराजी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहद्दी  
पूरब में आराजी सं. 1764 जुन भग, पश्चिम में आराजी सं. 1770 खाली भूमि,  
उत्तर में रास्ता व दक्षिण में आराजी सं. 1768 व 1767 का जुन भग
7. प्रश्नगत भूमि का नजरी गवरा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है।
8. उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं नहीं

नोट- (1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/ दिनांक 16 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/छपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तदनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

अमित विश्वकर्मा  
लेखपाल क्षेत्र.....  
तहसील-शांती

राजस्व निरीक्षक


तहसीलदार शांती

नजरी नक्शा आंशिक

भोजा - झांसी खास ब्लाक उन्नाव गेट

तहसील व जिला झांसी

आराजी सं. 1767 क्षेत्रफल 1150 वर्ग मी. व 1768 क्षेत्रफल 370 वर्ग मी.



चौहद्दी

पूरुब में ⇒ आराजी नं. 1767 जुज भाग

पच्छिम में ⇒ आराजी नं. 1770 खानी भूमि

उत्तर में ⇒ रास्ता स्थित आराजी सं. 1768 व 1767

दक्षिण में ⇒ आराजी नं. 1768 व 1767 जुज भाग

सरकारी कार्य हेतु।

  
अमित विश्वकर्मा  
तहसील क्षेत्र.....  
तहसील-झांसी

## कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक:- 565/मोनि0वि0/नोनि0/2023-24  
विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

दिनांक:- ,2023

कृपया आवेदक श्री गुरदीप सिंह चावला पुत्र राजेन्द्र सिंह चावला निवासी- सर्व नगर जार पहाड सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तह0 व जिला झाँसी (उ0प्र0) के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2023 में मौजा/मुहल्ला झाँसी खास के आराजी संख्या/भवन 2025 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय मकान/प्लाट जिसका 147.77 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1590 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 21.11.2023 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला झाँसी खास की आराजी संख्या/भवन 2025 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.11.2022 को विक्रेता मो0 अरफ़ान सिद्दीकी आदि से क्रय किया है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजात है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक (से0नि0) की आख्या दिनांक 06.12.2023 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला झाँसी खास के आराजी संख्या/भवन सं0 2025 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी राजस्व निरीक्षक (से0नि0) द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/ राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मलवा शुल्क रू0 6230/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क रू0 1590/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 2470/99 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला झाँसी खास के गाटा संख्या/भवन संख्या 2025 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्ध क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत- पूरब- रास्ता, पश्चिम- जमीन पीताम्बरा एसोसिएट, उत्तर- प्लाट गुरदीप सिंह चावला, दक्षिण- प्लाट विक्रेता,

नोट:-

1. आवेदन का दिनांक- 23.11.2023
4. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- "आवासीय" से सम्बन्धित है।
6. सैपिटल टैक- IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शे में प्रावधान कर दिया गया है।
4. कम्पोजिटिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोजिटिंग की आवश्यकता नहीं है।

नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका से-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक:- 565/मोनि0वि0/नोनि0/2023-24  
श्री गुरदीप सिंह चावला पुत्र राजेन्द्र निवासी- सर्व नगर जार पहाड सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तह0 व जिला झाँसी (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी  
दिनांक:- 2023

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

1. आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम गुरदीप सिंह जावला पुत्र राजेह सिंह जावला
2. आवेदक का पता सुबर्न नगर चार पहाड सी.पी.डिग्राम नम्ब्रा 303 आंसी
3. मकान नं./प्लॉट का आराजी संख्या आवासीय प्लॉट प्रोजेक्ट आंसीवाला आराजी सं 2025 के पुज भाग में 147.77 वर्गमीटर
4. सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी 100 मी. से अधिक दूर
5. लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं प्रश्नगत प्लॉट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पार्ची ने उक्त प्लॉट परिये पंजीकृत बैनामा द्वारा विडेटा प्रो. अरुण सिंह सिद्धी से कृपा किया था। उक्त प्लॉट गामसभा, नजब, पुर्ववाल व धारा 77 में वर्गित आराजित भेगा की श्रमि नहीं है।
6. मौके के अनुसार प्रश्नगत आराजी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहदी पूरव में रास्ता, पश्चिम में धर्मन घीताभवा रुयोसिस्ट, उत्तर में प्लॉट गुरदीप सिंह जावला, दक्षिण में प्लॉट विडेटा
7. प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है।
8. उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं नहीं

नोट : (1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

तदनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

3/11/23  
लेखपाल

सजस्य निरीक्षक के  
राजेश सिंह सोमवशी  
जिला-सीए

11/11/23  
लेखपाल  
तहसीलदार आंसी

## कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक:- 564/म0नि0वि0/न0नि0/2023-24  
विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

दिनांक- 22-12-2023

कृपया आवेदक श्री गुरदीप सिंह चावला पुत्र राजेन्द्र सिंह चावला निवासी- सर्व नगर जार पहाड़ सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तह0 व जिला झाँसी (उ0प्र0) के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2023 में मौजा/मुहल्ला झाँसी खास के आराजी संख्या/भवन 2025 के जुज भाग में स्थित एक कित्ता आवासीय मकान/प्लाट जिसका 147.77 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1590 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 21.11.2023 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला झाँसी खास की आराजी संख्या/भवन 2025 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.11.2022 को विक्रेता मो0 असफान सिद्दीकी आदि से क्रय किया है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजात है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक (से0नि0) की आख्या दिनांक 06.12.2023 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला झाँसी खास के आराजी संख्या/भवन सं0 2025 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी राजस्व निरीक्षक (से0नि0) द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/ राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मलबा शुल्क रू0 6230/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क रू0 1590/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 2470/98 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला झाँसी खास के गाटा संख्या/भवन संख्या 2025 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत- पूरब- रास्ता, पश्चिम- जमीन पीताम्बरा एसोसिएट, उत्तर- प्लाट श्रीमती सुमित कौर चावला, दक्षिण- प्लाट गुरदीप,

नोट:-

1. आवेदन का दिनांक- 23.11.2023
2. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- "आवासीय" से सम्बंधित है।
3. सैप्टिक टैंक- IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्से में प्रावधान कर दिया गया है।
4. कम्पोस्टिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जावेगा।

पत्रांक:- 564/म0नि0वि0/न0नि0/2023-24

श्री गुरदीप सिंह चावला पुत्र राजेन्द्र सिंह चावला निवासी- सर्व नगर जार पहाड़ सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तह0 व जिला झाँसी (उ0प्र0) को सूचनाार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी  
दिनांक- 22-12-2023

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

1. आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम गुरदीपादीह नावला पुत्र राजेन्द्र सिंह नावला
2. आवेदक का पता सर्वनगर द्वार पहाड स्त्री.पी.प्रिशन कम्पा.305 नवाली
3. मकान नं./प्लॉट का आराजी संख्या उगावासीय प्लॉट प्रोजेक्ट नं.सी.एन.आर.आराजी सं. 2025 के जुड़ भाग में सेक्ट 147.77 वर्गमीटर
4. सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी 100 मी. से आधिक दूर
5. लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं प्रश्नगत प्लॉट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्राचीन उक्त प्लॉट ज़रिये पंजीकृत केन्द्रों द्वारा विवेक प्रो.असदान सिद्धी आदि से किया था। उक्त प्लॉट ग्राप्तसभा नमूने पुर्नवास व धारा 77 में वर्णित आराजेत में ही भूदि रही है।
6. मौके के अनुसार प्रश्नगत आराजी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहदी पूरव में रास्ता, पश्चिम में जमीन पीताम्बरा रुखोसिद्ध, उत्तर में प्लॉट सीमावी सुमित कौर नावला, दक्षिण में प्लॉट गुरदीप
7. प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है।
8. उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं नहीं

नोट : (1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तदनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

20/11/23  
लेखपाल

सजसव निरीक्षक  
सजसव निरीक्षक सिंह सोमवंशी

20/11/23  
तहसीलदार  
तहसीलदार झांसी

कायालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक- 97/मोनि0वि0/न0नि0/2022-23

दिनांक 11/7/2022

विषय- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

रूपमा श्रीमती सुमित कौर चावला पत्नी श्री गुरदीप सिंह चावला निवासी- सर्व नगर सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड झाँसी (उ0प्र0) के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 में मौजा/मुहल्ला झाँसी खास झाँसी के आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित एक कित्त आवासीय मकान/प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 3180 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 20.05.2022 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला झाँसी खास झाँसी की आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने जरिये बैनामा दिनांक 160/13.01.2022 विक्रेता श्री मोहम्मद अस्फान सिद्दीकी से क्रय की गई है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, दफ्तर सीतिंग, पुर्नवास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार की आख्या दिनांक 30.06.2022 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला झाँसी खास झाँसी के आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार व उप जिलाधिकारी सदर) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मलवा शुल्क रू0 11,462/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क रू0 3,180/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 2337/05 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला झाँसी खास झाँसी के गाटा संख्या 2023 में नगर निगम का अंश नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा- 80 की कार्यवाही नहीं की गयी है।

आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर वर्णित भूमि कमी भी राज्य सरकार की नहीं रही है और न ही कमी सार्वजनिक उपयोग की रही है जो चौहदी दिखाई गयी है उसके अन्दर कोई भी सरकारी भूमि नहीं है और उस चौहदी से लगी सरकारी भूमि नहीं है। भूमि सम्बन्धी समस्त रिकार्ड का स्वामी राजस्व विभाग होता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रबंधन के रूप में दिये जाने में इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहदी निम्नवत्- पूरब- रास्ता 9.14 मीटर, पश्चिम- जमीन पीताम्बर एसो0, उत्तर- प्लाट कुमारी खुशनु चावला, दक्षिण- प्लाट विक्रेता।

नोट- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक- 97/मोनि0वि0/न0नि0/2022-23

श्रीमती सुमित कौर चावला पत्नी श्री गुरदीप सिंह चावला निवासी- सर्व नगर सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड झाँसी (उ0प्र0) को सूचनाार्थ प्रेषित।

दिनांक-

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी  
2022

11/7/22  
सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

जांच आख्या (राजस्व विभाग) का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम श्री गणेश सुप्रिय और श्यामल पत्नी श्री गणेश सुप्रिय
2. आवेदक का पता सरकार हीरोपीत प्रियान कम्पा 0 झांसी
3. मकान का आसानी संख्या मोना झांसी (वास्तु श्रान्ति 2003 में 295.54 वर्ग मी.)
4. सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी 100 मीटर से अधिक दूर
5. लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं प्रस्ताव प्लॉट का स्वयं निरीक्षण किया गया। प्रारिथाने उच्च प्लाट नरिये से किता पत्रो कृषि क्षेत्रादा विक्रम प्रिष्ठात सिद्धीक से रुय किया है। बेतादा द्वावा प्रतियां संकर है। उच्च प्लाट ग्राम सभा, नरुळ, कच्छ, स्कीकिंग, पुत्रेवास की भूमि/सम्पत्ति नहीं है।
6. मौके के अनुसार प्रस्ताव आसानी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहदी... पूरब में दास्ता पश्चिम में भूमि पीताकरा एलोसियेट उत्तर में प्लाट खुशबू सादक दक्षिण में प्लाट प्रिष्ठात सिद्धीक
7. प्रस्तावत भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है।
8. उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं नहीं

नोट- (1) भारत सरकार के रक्षा नंत्रालय के पत्र संख्या 11028/2/2011/ दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को धुपाकर/कपट पुरक ऐसी आख्या प्रास कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त बानी जाएगी। तदनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

लेखपाल  
20.05.2022  
मनोज अग्रवाल  
लेखपाल-  
ताहसील-झांसी


राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र  
ताहसील-झांसी

20.05.22  
ताहसीलदार  
ताहसीलदार  
झांसी

जनरी नक्शा (N.O.C. हेतु)

आवासीय फ्लॉट नो. 295.54-कर्मली. खिबत

आर.नो सं. 2023 प्रोजेक्ट सांखी वास तह. कांसी



  
20.5.2022  
निर्माण अधिकारी  
लेखपाल, तह.  
राहसील-कांसी

कार्यालय शाखा नगर निगम, झांसी

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक- 411/म0नि0वि0/न0नि0/2023-24  
विषय- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
नहोदय,

दिनांक- 11/10/2023

कृपया आवेदक श्रीमती खुशबू चावला पुत्री श्री हरजीत सिंह चावला निवासी- सर्व नगर जार पहाड़ सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तहसील व जिला झांसी (उ0प्र0) के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2023 में मौजा/मुहल्ला झौंसी खास के आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय मकान/प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1620 वर्गफुट की नगर निगम झांसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 31.03.2022 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला झौंसी खास की आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने जरिये बैनामा दिनांक 05.01.2022 विक्रेता मो0 असफान सिद्दीकी से क्रय किया गया है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार की आख्या दिनांक 26.09.2023 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला झौंसी खास के आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झांसी से चाहा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/ राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मूल्य शुल्क ₹0 6,355/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क ₹0 1,620/- नगर निगम झांसी कोष में रसीद सं0 2436/25 दिनांक 30.09.2023 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला झौंसी खास के गाटा संख्या/भवन संख्या 2023 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा- 80 की कार्यवाही नहीं की गयी है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत्- पूरब- रास्ता, पश्चिम- जमीन पीताम्बरा एसोसीएट्स, उत्तर- प्लाट विक्रेता, दक्षिण-प्लाट श्रीमती सुमित कौर चावला,

नोट:-

1. आवेदन का दिनांक- 16.09.2023
2. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- "आवासीय" से सम्बन्धित है।
3. सैपिटक टैक- IS CODE: 2470 के प्राक्धान के अन्तर्गत नवरो में प्राक्धान कर दिया गया है।
4. कम्पोस्टिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक- 411/म0नि0वि0/न0नि0/2023-24

श्रीमती खुशबू चावला पुत्री श्री हरजीत सिंह चावला निवासी- सर्व नगर जार पहाड़ सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तहसील व जिला झांसी (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झांसी नगर निगम, झांसी  
दिनांक:- 11/10/2023


सम्पत्ति अधिकारी  
झांसी नगर निगम, झांसी

अनावाचित प्रमाण पत्र (N.O.C.) के सम्बन्ध में आख्या :-

महोदय,

प्रार्थिया श्रीमती लुशबू चावला पुत्री हरजीत सिंह चावला, नि.  
सर्वनगर जार पहाड़ सी.पी.मेशन कम्पाउण्ड शहर व जिला झाँसी ने  
एक किता आवासीय प्लॉट क्षेत्रफल 150.56 वर्ग मीटर स्थित मौजा  
झाँसी त्वास आबादी बाहर उन्नाव गेट जो अराजी नं. 2023 के गुज  
भाग से है। क्रय जोखे रजि. बीनामा दिनांक 15/01/2022 को किया  
है। मानके का नजरी नक्शा मय चौहदरी के रिपोर्ट के साथ संलग्न  
है। उक्त भूमि गांवसभा, नजूल, नगर निगम, वनस्प, पुनर्वासि व  
ध्याय 77 से वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

  
28/3/2022  
(अशोक कुमार)  
लेखपाल  
क्षेत्र झाँसी त्वास  
तहसील-झाँसी

महोदय  
लेखपाल आरक्षण अग्रसारित।

  
31.3.22  
तहसीलदार  
झाँसी

**कार्यालय झॉंसी नगर निगम, झॉंसी**

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी

पत्रांक:- 422/न0नि0वि0/न0वि0/2023-24  
विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

दिनांक- 17.10.2023

कृपया आवेदक श्रीमती खुराबू चावला पुत्री श्री हरजीत सिंह चावला द्वारा मुख्यालय श्रीमती डिम्पल चावला पत्नी श्री हरजीत सिंह चावला पुत्री श्री सुरजीत सिंह सहगल निवासी- सर्वनगर सी0पी निशन कम्पाउण्ड व जिला झॉंसी (3040) के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2023 में मौजा/मुहल्ला झॉंसी सिविल के आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय मकान/प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1560 वर्गफुट की नगर निगम झॉंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 23.09.2023 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान मौजा/मुहल्ला झॉंसी सिविल की आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित है प्रार्थी ने जरिये बैनामा दिनांक 15.01.2022 विक्रेता मो0 असफान सिद्दीकी से क्रय किया गया है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम समा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार की आख्या दिनांक 05.10.2023 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला झॉंसी सिविल के आराजी संख्या/भवन सं0 2023 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झॉंसी से चाहा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी राजस्व निरीक्षक/मानचित्रकार द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/ राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। मानचित्रकार द्वारा मलवा शुल्क ₹0 2,827/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क ₹0 1,560/- नगर निगम झॉंसी कोष में रसीद सं0 2436/45 दिनांक 07.10.2023 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला झॉंसी सिविल के गाटा संख्या/भवन संख्या 2023 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा- 80 की कार्यवाही नहीं की गयी है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत्- पूरब- रास्ता, पश्चिम- जमीन पीताम्बरा एसोसिएट्स, उत्तर- प्लाट असफान सिद्दीकी, दक्षिण- प्लाट सुमित कौर चावला,

नोट-

1. आवेदन का दिनांक- 29.09.2023
2. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- "आवासीय" से सम्बन्धित है।
3. सैपिटक टैक- IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शों में प्रावधान कर दिया गया है।
4. कम्पोस्टिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

नोट- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उरी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झॉंसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने या अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जावेगा।

पत्रांक:- 422/न0नि0वि0/न0वि0/2023-24

श्रीमती खुराबू चावला पुत्री श्री हरजीत सिंह चावला द्वारा मुख्यालय श्रीमती डिम्पल चावला पत्नी श्री हरजीत सिंह चावला पुत्री श्री सुरजीत सिंह सहगल निवासी- सर्वनगर सी0पी निशन कम्पाउण्ड व जिला झॉंसी (3040) को सूचनाय प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झॉंसी नगर निगम, झॉंसी  
दिनांक:- 2023

सम्पत्ति अधिकारी  
झॉंसी नगर निगम, झॉंसी

1. आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम खुशबू नावला पुत्री हरजीत

2. आवेदक का पता खिहं नावला द्वारा मुख्यालय श्रीमती डिम्पल नावला पति हरजीत खिहं पुत्री हरजीत खिहं सहगल नि० खर्नगर स्त्री पी० मिशन कम्पाउण्ड भ्रांसी

3. मकान नं./प्लॉट का आराजी संख्या प्रोजेक्ट भ्रांसी खास आराजी सं. 2023 के भुज भाग में क्षेत्रफल 144.98 वर्गमीटर

1  
23

4. सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी 100 मी० से अधिक दूर

5. लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं प्रश्नगत प्लॉट का स्थल निरीक्षण किया गया। शार्वीयाने उक्त प्लॉट जरिये घेजीकृत बैनामा विवेका प्रो० अखंडन सिट्टीक से कृप किया है। उक्त प्लॉट ग्राहकना, नपुल, पुर्नवास व धारा 77 में वर्णित आरक्षित क्षेत्रों की श्राप्ति रही है।

श्री  
ग

6. मौके के अनुसार प्रश्नगत आराजी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहदी पूरव में रास्ता पश्चिम में जमीन भीताम्बरा खुसोखिपेट उत्तर में प्लॉट अखंडन सिट्टीक, दक्षिण में प्लॉट सुमीत कोर नावला

7. प्रश्नगत भूमि का नजरी नवशा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है।

8. उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं रही

है

नोट : (1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

सर्वेनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

लेखपाल आख्या सादर  
सेवा में 23/09/23


अर्द्ध ( )

मिनिस्ट्र

तहसीलदार 23/09/23  
आखंडन सीलदार आंसी

नजरी नक्शा (अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु)

आवासीय प्लॉट नं. ~~144-98~~ कोसी ० स्थित भूजा  
कोसी तालाक प्रा. 2023



सकरी कार्य हेतु

*Signature*  
21/09/23  
अभिजित कुमार  
सहायक अभियंता  
कोसी तालाक प्रा. 2023